न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 196/2014–15 अन्तर्गत धारा–333 भू0रा0अधि0

लच्छी पुत्र रामपाल, ग्राम–माड़ाबेला, परगना गोरधनपुर तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर जनपद हरिद्वार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता	:	श्री बाबूराम सैनी।
अधिवक्ता राज्य सरकार	:	श्री विनोद कुमार डिमरी जिला शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने परगनाधिकारी, लक्सर द्वारा कार्यवाही संख्या–611/2012–13 सरकार बनाम लच्छी में पारित आदेश दिनांक 09–01–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता को ग्राम–शेरपुर बेला महाजी हिरदेरामपुर, परगना गोरधनपुर तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के खाता संख्या–323 के खसरा संख्या–83म क्षेत्रफल–0.2800 हे0 में फसली वर्ष 1405 से आसामी पट्टा श्रेणी 3 आंवटित किया गया था। लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक, खानपुर की आख्या दिनांक 10–12–2012 के द्वारा पट्टा की अवधि पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें निरस्त करने की आख्या परगनाधिकारी, लक्सर को तहसीलदार के माध्यम से प्रस्तुत की गई जिसपर विद्वान परगनाधिकारी, लक्सर ने दिनांक 09–01–2013 को निम्न आदेश पारित कियेः–

'' पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण नियमानुसार पट्टा निरस्त''

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

यद्यपि निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथापि निगरानी के प्रथम दृष्टयाः पट्टा निरस्तीकरण का निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09–01–2013 के दृष्टिगत निगरानी पत्र के साथ प्रस्तुत सशपथ धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणों के आधार पर धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निगरानी उसमे प्रकटतः विद्यमान विधिक एवं तात्विक अनियमितता, असंगतता एवं अवैधानिकता के दृष्टिगत सुनवाई हेतु ग्रहण कर ग्राह्यता के स्तर पर ही निस्तारित की जा रही है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि अवर न्यायालय द्वारा बिना उन्हें सुने ही धारा–202 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत आदेश पारित कर उनका पट्टा निरस्त किया गया है जबकि उन्हें आसामी पट्टे वर्ष 1405 फसली से दिये गये है अतः अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त कर निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गांव सभा मैनुअल की पैरा–78 व धारा–195 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत 10 वर्ष पूर्ण होने के कारण संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्रदान किये जाय। दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता का कथन था कि आसामी पट्टे पांच वर्ष की अवधि के लिए दिये जाते है जिन्हें पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है।

निगरानीकर्ता को आसामी पट्टा 1405 फसली अर्थात् वर्ष 1998 में दिया गया है प्रश्नगत पट्टे की कोई समयसीमा नही इंगित है। परन्तु आसामी पट्टा अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिये जा सकने के दृष्टिगत उनको निरस्त करने की कार्यवाही वर्ष 2003 में ही अथवा तत्काल पश्चात की जानी चाहिए थी। वर्ष 2012 में अर्थात् 14 वर्ष बाद बिना पट्टेदार को सुने पट्टा निरस्त करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। न्याय का तकाजा है कि हितबद्ध पक्ष को सुने बिना उसके हित प्रतिकूल निर्णय नही लिया जा सकता है।

धारा–202 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत आसामी की बेदखली की कार्यवाही की जाती है पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही नही। धारा–202 के अन्तर्गत आसामी के बेदखली, यथास्थिति, ग्राम सभा अथवा भू–धारक के वाद पर ही हो सकती है न कि लेखपाल व तहसीलदार की जांच आख्या पर। बेदखली का वाद पट्टा समाप्ति/निरस्तीकरण के उपरान्त अध्यासन न छोड़ने पर ही योजित हो सकता है तद्नुसार आलोच्य धारा–202 भू0रा0अधि0 के अधीन तहसीलदार की आख्या पर एक सूक्ष्म रूप से पारित (cryptic) आक्षेपित आदेश सहित सम्पूर्ण कार्यवाही अपखण्डित (quash) योग्य है।

विद्वान परगनाधिकारी, लक्सर द्वारा आदेश दिनांक 09–01–2013 से निगरानीकर्ता का पट्टा वैसे भी एकपक्षीय रूप से निरस्त किया गया है। उन्हें चाहिए था कि वे पट्टा निरस्त करने से पूर्व पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते और तत्पश्चात विधिसम्मत आदेश पारित करते। इसके अतिरिक्त वर्तमान में शासन द्वारा भी कतिपय श्रेणी के पट्टेदारों को भौमिक अधिकार दिये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि आदेश दिनांक 09–01–2013 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अवर न्यायालय को निगरानीकर्ता/पट्टेदार को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया जाय। निगरानीकर्ता के पूर्व में आसामी पट्टाधारक होने के आधार पर उन्हें पुनः वर्षानुवर्ष अथवा महत्तम अवधि का आसामी पट्टा दिये जाने पर भी विचार आवश्यक है।

आदेश

निगरानी ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही स्वीकार कर अवर न्यायालय की आलोच्य कार्यवाही अपखण्डित (quash) कर एवं आदेश दिनांक 09–01–2013 को अपास्त किया जाता है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, लक्सर निगरानीकर्ता/पट्टदार को आवश्यक रूप से सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही आसामी पट्टा निरस्तीकरण/समाप्ति की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। यदि शासन की वर्तमान नीति के अनुरूप निगरानीकर्ता द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप वादग्रस्त भूमि के भौमिक अधिकारों अथवा पुनः आसामी पट्टे हेतु आवेदन करते हैं तो वे तद्नुसार उसका भी परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही करेंगे। इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 21–09–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)